

# उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण)

अध्यादेश, 2018

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2018)

स्कूल कोड - 61427, सी. बी. एस. सी. मान्यता नं. - 2133652

के अन्तर्गत **मिनीलैण्ड दा ग्लोबल स्कूल** (मान्यता प्राप्त) मोरपुर, पक्की चौकी, बुलन्दशहर रोड़, हापुड़ द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग पत्रांक संख्या 9755-58 दि. 29.01.2018 में प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क संग्रह की प्रक्रिया खुली, पारदर्शी एवं स्पष्ट रूप से निम्न प्रकार है -

प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का वर्गीकरण निम्नानुसार है -

(क) शुल्क संघटक :-

विद्यालय द्वारा निम्नलिखित शुल्क संघटकों का निर्धारण किया गया है -

|   |                              |
|---|------------------------------|
| (एक) विवरण पत्रिका एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क                      | 1100/- (हर वर्ष देय नहीं है) |
| (दो) प्रवेश शुल्क (विद्यालय में नवीन प्रवेश के समय प्रथम बार) |                              |
| नर्सरी से कक्षा सीनियर के. जी. तक                             | 2500/- (हर वर्ष देय नहीं है) |
| कक्षा एक से पांच तक   | 4000/- (हर वर्ष देय नहीं है) |
| कक्षा छः से कक्षा आठ तक                                       | 5000/- (हर वर्ष देय नहीं है) |
| कक्षा नवमी (9 <sup>th</sup> )                                 | 6000/- (हर वर्ष देय नहीं है) |
| कक्षा दसवी (10 <sup>th</sup> )                                | शून्य (मात्र इसी सत्र में)   |
| कक्षा ग्यारह (11 <sup>th</sup> )                              | 6000/- (हर वर्ष देय नहीं है) |
| कक्षा बारहवीं (12 <sup>th</sup> )                             | शून्य (मात्र इसी सत्र में)   |

| (तीन) कम्पोजिट फीस मासिक          | मासिक शुल्क                   | Net     | वार्षिक योग | वाषिक देय शुल्क |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|-----------------|
| कक्षा नर्सरी से कक्षा सी. के. जी. | 2480 /- (2480 में 50% की छूट) | 1240/-  | 29,760 /-   | 14880 /-        |
| कक्षा एक व दो                     | 2680 /- (2680 में 50% की छूट) | 1340/-  | 32160 /-    | 16080 /-        |
| कक्षा तीन से कक्षा आठ तक          | 3040 /- (3040 में 50% की छूट) | 1520/-  | 36,480 /-   | 18240 /-        |
| कक्षा छः से कक्षा आठ तक           | 3280 /- (3280 में 50% की छूट) | 1640/-  | 39360 /-    | 19680 /-        |
| कक्षा 9 व 10                      | 4460 /- (4460 में 50% की छूट) | 2230/-  | 53520 /-    | 26760 /-        |
| कक्षा 11 (sci. )                  | 5360 /- (5360 में 50% की छूट) | 2680 /- | 64320 /-    | 32160 /-        |
| कक्षा 11 (com. )                  | 4960 /- (4960 में 50% की छूट) | 2480 /- | 59520 /-    | 29760 /-        |
| कक्षा 12 (sci. )                  | 5360 /- (5360 में 50% की छूट) | 2680 /- | 64320 /-    | 32160 /-        |
| कक्षा 12 (com. )                  | 4960 /- (4960 में 50% की छूट) | 2480 /- | 59520 /-    | 29760 /-        |

(चार) परीक्षा शुल्क (अर्धवार्षिक) 350 /-

(पांच) विभिन्न शुल्क (एकल शीर्षक के अन्तर्गत संदेय)  
(विभिन्न शीर्षकों के आधीन आवृत्ति शुल्कों यथा  
ओडियो विजुअल, डे केयर, जनरेटर, ए. सी., हॉबी कक्षाएं व डिजीटल  
स्मार्ट कक्षा आदि शीर्षकों के अन्तर्गत देय शुल्क संयुक्त (कम्पोजिट)  
अधिकतम शुल्क (वार्षिक) ..... शून्य .....  
पंजीकरण एवं प्रोस्पेक्टस 48,000 /- (छूट वाक्य)  
1100 /-

(छह) वार्षिक विकास शुल्क ..... शून्य ..... /-

(सात) निर्धन छात्र/छात्राओं को फीस में छूट उपलब्ध रहेगी।

(ख) वैकल्पिक शुल्क संघटक :-

(एक) परिवहन  
वैन सुविधा (तीन कि. मी. तक) 500 /- मासिक  
वैन सुविधा (तीन कि. मी. से दस कि. मी. तक) हापुड़, गुलावठी आदि 1000 /- मासिक  
(दो) डे-बोर्डिंग शुल्क 6000 /- प्र. मा. (ग्रीष्मावकाश को छोड़कर)

(तीन) मेस या डाइनिंग

उपलब्ध नहीं है।

(चार) शैक्षिक भ्रमण

टूर खर्च के अनुसार पूर्व सूचना से लिया जायेगा।

(पांच) हैल्थ क्लब / स्वीमिंग पुल / अन्य

उपलब्ध नहीं है।

**नोट – (एक)** विद्यालय द्वारा किसी छात्र/छात्रा से प्रतिभूति धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तथा भविष्य में यदि ऐसी कोई राशि जमा कराई जाती है तो वह छात्रों को विद्यालय छोड़ते समय ब्याज सहित वापस की जायेगी परन्तु ऐसी प्रतिभूति धनराशि विद्यालय में नवीन प्रवेश के समय एक बार शुल्क के रूप में जमा होगी और संयुक्त वार्षिक शुल्क के पचास प्रतिशत की धनराशि से अधिक नहीं होगी। प्रतिभूति धनराशि विद्यालय में जमा अवधि हेतु भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता में प्रचलित दर पर ब्याज सहित वापस की जायेगी। प्रतिभूति धनराशि, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी किए जाने के दिनांक से तीन दिन के भीतर विद्यालय द्वारा वापस की जायेगी।

(दो) उपरोक्त शुल्क व्यवस्था विद्यालय की बैवसाइट [www.minilandglobalschool](http://www.minilandglobalschool) पर उपलब्ध है।

(तीन) उपरोक्त प्रकाशित फीस के विवरण से स्पष्ट है कि कोई भी शुल्क एकमुस्त वार्षिक आधार पर देय नहीं है।

(चार) विद्यालय द्वारा प्रत्येक प्राप्त की गई राशि की रसीद जारी की जाती है।

(पांच) विद्यालय द्वारा बच्चों की ड्रेस का विवरण कपडे का शेड नं., मिल आदि का नाम कार्यालय से लेकर अभिभावक अपनी इच्छानुसार कहीं से भी सिलवाने के लिए स्वतंत्र है इसी प्रकार प्रत्येक छात्रा को पुस्तको को सूची कार्यालय से लेकर कहीं से भी पुस्तकें व स्टेशनरी खरीदने की स्वतंत्रता है।

(छः) विद्यालय द्वारा आवश्यकता पडने पर पांच शैक्षणिक वर्षों के उपरान्त ही ड्रेस में परिवर्तन किया जायेगा।

(सात) इस अधिनियम का हिन्दी / अंग्रेजी में पी. डी. एफ. फाइल विद्यालय की बैवसाइट पर उपलब्ध है।

किसी भी स्पष्टीकरण, सुझाव अथवा शिकायत के लिए कृपया विद्यालय प्रबंधक या प्रधानाचार्या से सम्पर्क करें।